

अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/130/2014-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 10th 2, 2013

सेवा में,

श्री रविन्द्र सिंह भदौरिया
श्री जगदगुरु आश्रम
महात्मा गांधी मार्ग, कनखल
हरिद्वार (उत्तराखंड)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक 20.12.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 31.01.2014 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपकी शिकायत इस मंत्रालय के दिनांक 13.01.2014 के पत्र सं. 14036/10/2013-यू टी पी के तहत दिल्ली पुलिस को पहले ही अग्रेषित कर दिया गया है और इसलिए, आपका आर टी आई आवेदन भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत दिल्ली पुलिस को उनकी तरफ से आवश्यक कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

(चित्रा नारायण)

(चित्रा नारायण)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-1)

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न की जाती है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे भेजी जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

188/194
21/2

dc